राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/विनि.क्षेत्र./अलेसे–III/2203–7266 दिनांक 05-05-2015

## विज्ञप्ति

यह सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों हेतु पृथक से राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2014 दिनांक 28.01.2014 से अधिसूचित किये जा चुके है। इनके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत तथा अनुसूचित क्षेत्र में ही रहने का विकल्प देने वाले राजसेवक इन सेवाओं के स्वतः सदस्य होंगे। विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 2014 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र एफ 2(1) डीओपी/ए–II/ 2014 दिनांक 17.7.2014 की अनुपालना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा के कार्मिकों की भर्ती एवं उक्त क्षेत्र में कार्यरत रहने का विकल्प देने वाले कार्मिकों की पदोन्नति संबंधी कार्यवाही उक्त नियमों के अन्तर्गत ही की जानी है।

अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों से विनिर्दिष्ट क्षेत्र में सेवा देने अथवा सेवा नहीं देने संबंधी विकल्प पूर्व में विभागीय पत्र संख्या 6211-6250 दिनांक 15.09.2014 द्वारा आंमत्रित किये गये थे। कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(1)कार्मिक/क–2 /2014 पार्ट दिनांक 28.04.2015 (प्रति संलग्न) द्वारा विकल्प से शेष रहे कर्मचारियों से अनुसूचित क्षेत्र में जाने का विकल्प प्रस्तुत करने का एक अवसर और प्रदान किया गया है। कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र के अनुसार विकल्प से शेष रहे कर्मचारी अनुसूचित क्षेत्र में जाने संबंधी विकल्प अपने विभाग में प्रस्तुत कर सकते है। इसके बाद कोई विकल्प मान्य नहीं होगा। अतः अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिक (सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/II एवं कनिष्ठ लेखाकार), जो उक्त विनिर्दिष्ट क्षेत्र में भविष्य में सेवा देना अथवा नहीं देना चाहते हैं तथा जिन्होने पूर्व में कोई विकल्प पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, वे संलग्न प्रारूप में अपना विकल्प पत्र कार्यालयध्यक्ष से अग्रेषित करवा कर दिनांक 15.05.2015 तक आवश्यक रूप से संबंधित कोषाधिकारी को प्रस्तुत करें। समस्त कोषाधिकारी उक्त प्रकार प्राप्त विकल्प पत्रों को इस विभाग को दिनांक 22.05.2015 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगें।

संलग्न– कार्मिक (क–2) विभाग का परिपत्र एवं विकल्प पत्र का प्रारूप

( भास्कर शर्मा )
निदेशक

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I/II) कार्यालय हाजा।
4. कोषाधिकारी, कोषालय बासंवाडा/ डूंगरपुर/ प्रतापगढ/ उदयपुर (ग्रामीण) / सिरोही उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्यरत विकल्प से शेष रहे कार्मिकों के विकल्प पत्र प्राप्त कर इस विभाग को दिनांक 22.05.2015 तक आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर आपके जिले में कार्य करने वाले कार्मिक यदि उक्त परिक्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हो तो उनके भी विकल्प प्राप्त किये जावें। उक्त विज्ञप्ति को कोषालय/ उपकोषालय में चस्पा करावें एवं समस्त विभागो में प्रेषित कर विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त कोषाधिकारी (क्रम स.4 में अंकित कोषाधिकारियों को छोड़कर) उक्त विज्ञप्ति को कोषालय/उपकोषालय में चस्पा करावें एवं समस्त विभागो में प्रेषित करते हुए विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए इच्छुक अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कार्मिकों के विकल्प पत्र प्राप्त कर इस विभाग को दिनांक 22.05.2015 तक आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
6. उपनिदेशक, एसीपी को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. समस्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/II एवं क.लेखाकार ....................................
8. रक्षित पत्रावली।

# विकल्प पत्र

राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते ) नियम, 2014 के तहत विकल्प पत्र

1. मैं.....पद.....मेरिट नम्बर एवं वर्ष .....लिंक नम्बर.....संवर्ग.....(अजा / अजजा / अपिव / विपिव / सामान्य) राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते ) नियम, 2014 के तहत विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए **सहमत हूँ।**

**अथवा**

मैं.....पद.....मेरिट नम्बर एवं वर्ष .....लिंक नम्बर.....संवर्ग..... (अजा / अजजा / अपिव / विपिव / सामान्य) राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते ) नियम, 2014 के तहत विनिर्दिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए **सहमत नहीं हूँ।**

हस्ताक्षर कार्मिक

(नाम.....)

पदस्थापन कार्यालय.....

.....

ई–मेल एर्डेस.....

मोबाईल नम्बर.....

कार्यालयध्यक्ष द्वारा प्रमाणन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पद..... पर दिनांक .....से कार्यरत है । इन्होने विनिर्दिष्ट अधिसूचित क्षेत्र में कार्य करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है /नहीं की हैं।

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष

दिनांकः–

मय सील

श्री कैलाश चन्द्र
29/4/2015

# राजस्थान सरकार
## कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 2(1)कार्मिक / क–2 / 2014 पार्ट                                   जयपुर, दिनांक :– 28.04.2015

1– समस्त अति0 मुख्य सचिव / प्र0 शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव
2– समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

## परिपत्र

जैसा कि आपको विदित है कि अनुसूचित क्षेत्रों हेतु पृथक् से राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 दिनांक 28.01.2014 से अधिसूचित किए जा चुके हैं। इनके तहत अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत तथा अनुसूचित क्षेत्र में ही रहने का विकल्प देने वाले राजसेवक इन सेवाओं के स्वतः सदस्य होंगे। साथ ही, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.07.2014 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के बाहर जाने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण तभी किया जायेगा, जब उनके स्थान पर अन्य कर्मचारी का पदस्थापन होकर कार्यग्रहण कर लिया हो।

इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अब तक जिन कर्मचारियों ने शेष राजस्थान से अनुसूचित क्षेत्र में जाने का विकल्प दिया है, उनका अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों पर स्थानान्तरण 31 मई, 2015 तक हर हाल में कर दिया जावे। अभी भी विकल्प से शेष रहे कर्मचारियों से अनुसूचित क्षेत्र में जाने सम्बन्धी विकल्प 31 मई, 2015 तक सभी विभागों द्वारा आवश्यक रूप से ले लिये जावे। इसके बाद कोई विकल्प मान्य नहीं होंगे। विकल्प लेने की इस अन्तिम तिथि का समाचार माध्यमों से भी विस्तृत प्रचार–प्रसार किया जावे। इस प्रकार प्राप्त होने वाले विकल्पों के आधार पर, अनुसूचित क्षेत्र का विकल्प देने वाले कर्मियों का स्थानान्तरण 30 जून, 2015 तक (TSP क्षेत्र में जाने हेतु) हर हाल में कर दिये जावें।

जहां तक अनुसूचित क्षेत्र के कर्मचारियों, जिन्होंने अनुसूचित क्षेत्र से बाहर जाने का विकल्प दिया है, उनके स्थानान्तरण का प्रश्न है, ऐसे स्थानान्तरण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अनुसूचित क्षेत्र के तत्सम्बन्धी रिक्त पद, स्थानान्तरण / नयी नियुक्ति द्वारा भरे जा चुके हैं तथा स्थानान्तरण से अनुसूचित क्षेत्र का विभागीय कार्य संचालन बाधित होने की सम्भावना नहीं है।

विकल्प लेने की अन्तिम तिथि (31.05.2015) के पश्चात् प्रत्येक विभाग 10 दिवस के भीतर आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को एक प्रमाण–पत्र इस आशय का भेजेगा कि राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के नियमों के तहत विभाग के सभी चतुर्थ श्रेणी, मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा के राजसेवकों को सूचित कर विकल्प प्राप्त कर लिए गए हैं तथा ऐसा कोई राजसेवक शेष नहीं रहा है, जिसे इस प्रकार सूचित नहीं किया गया है।

उक्त निर्देशों के क्रम में 30 जून, 2015 तक स्थानान्तरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त सभी विभाग आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को एक प्रमाण–पत्र भेजेंगे